दिनांक 23.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 283/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर इटावा पुलिस द्वारा, 38 वर्षीय युवक की, मात्र 09 मिनट में, बचायी गयी जान

- आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इटावा पुलिस ने **मात्र 09 मिनट में पहुंचकर 38 वर्षीय युवक का जीवन बचाया।**
- दिनांक **22-05-2026** को पोस्टकर्ता द्वारा **पत्नी से हुए विवाद के कारण उत्पन्न तनाव में आत्महत्या संबंधी पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई।**
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मुख्यालय को प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन ट्रेस कर जनपद इटावा पुलिस को सूचित किया गया।
- दिनांक **01-01-2023 से 20-05-2026 तक इस पहल के अंतर्गत कुल 2886 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा** की जा चुकी है।

दिनांक 22-05-2026 को जनपद इटावा के थाना जसवंतनगर निवासी 38 वर्षीय युवक द्वारा, अपनी व पत्नी की एक फ़ोटो के नीचे **"मैं हार गया हूँ भैया, मैं क्लेश सहन नहीं कर सकता, आज मैं अपनी ज़िन्दगी ख़त्म कर रहा हूँ, सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मुझसे हुई गलती को माफ कर देना"** यह टेक्स्ट लिखकर, फेसबुक पर पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक-21/22-05-2026 को रात्रि 12:31 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।** मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद इटावा को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर **थाना जसवंतनगर के उप निरीक्षक मय पुलिस कर्मियों के मात्र 09 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच** गए। पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल परिजनों को युवक द्वारा किए गए पोस्ट की जानकारी देते हुए, **युवक के बारे में जानकारी की गई तो परिजनों द्वारा बताया गया की वह अभी घर से निकल कर बाहर गया है। उप निरीक्षक मय पुलिस कर्मियों के अविलंब युवक के पीछे दौड़ पड़े और कुछ दूरी पर उसे जाते हुए देखा तथा उसके पास पहुँच कर उसे रोका और युवक को समझा कर उसके घर वापस ले आये।**

युवक के सामान्य होने के उपरांत पुलिसकर्मियों द्वारा की गई पूछताछ में **उसके द्वारा बताया कि वह ग्रेजुएट पास है और फ़ोटोग्राफ़ी का काम करता है। उसकी पत्नी से उसका काफ़ी समय से विवाद चल रहा है जिसके कारण वह तनावग्रस्त था, इसी के परिणामस्वरूप उसके मन में आत्महत्या का विचार उत्पन्न हुआ और वह बाग में आत्महत्या करने के उद्देश्य से ही जा रहा था।**

पुलिस कर्मियों द्वारा समय से पहुँच कर, युवक को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर युवक द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवक के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01-01-2023 से 20-05-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 2886 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा** उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस को **मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 तथा The Economic Times GovTech Awards- 2026** से सम्मानित किया गया है।

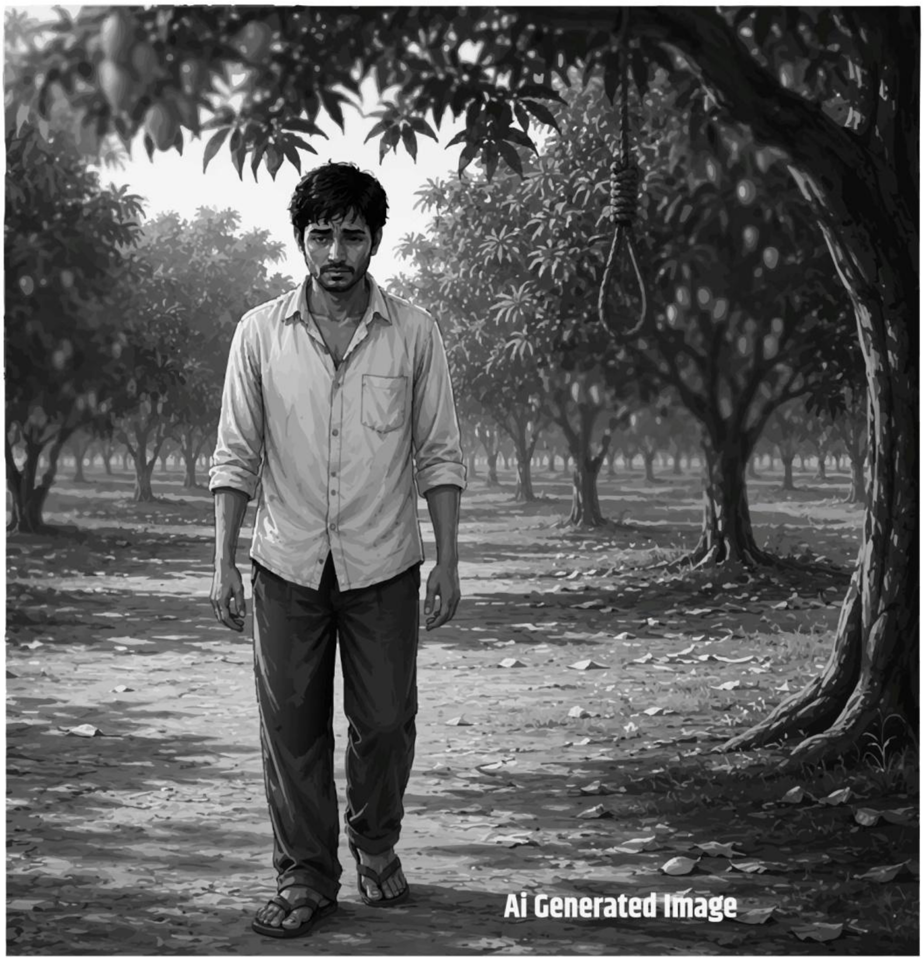

दिनांक 23.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 284/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जहांगीरगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22/23.05.2026 की रात्रि थाना जहांगीरगंज व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिलकटांडा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अशोक घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–मुकेश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अशोक थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जहांगीरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अशोक निवासी हथिया नाराज थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2–मुकेश निवासी ग्राम मसड़ा थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा मय कारतूस।

जनपद रामपुर/थाना अजीमनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 23.05.2026 को थाना अजीमनगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरेटा चौराहा पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–शादाब घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–तकदीर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शादाब थाना अजीमनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शादाब के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शादाब निवासी ग्राम खण्डिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।

2–तकदीर निवासी ग्राम बगरव्वा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–नगद रूपये।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकन्दरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 75 हजार 400 रूपये नगद**
- **सफेद धातु के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 22.05.2026 को थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भावना क्लार्क होटल के पास से अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 75 हजार 400 रूपये नगद, सफेद धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी ग्राम अवनीपुर थाना बसरैहर जनपद इटावा हालपता–सेक्टर–02 बोदला थाना जगदीशपुरा , आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 75 हजार 400 रूपये नगद।

2–सफेद धातु के आभूषण।

3–01 मोबाइल फोन।

जनपद रामपुर/थाना टांडा

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23.05.2026 को थाना टांडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जटपुरा पुलिया से 04 अभियुक्तों 1–लक्की 2–अभयकांत 3–आकाश 4–राजू को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना टांडा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लक्की निवासी ग्राम सहसपुरी थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

2—अभयकांत निवासी मकरपुरी थाना स्योहरा जनपद बिजनौर।

3—आकाश निवासी ग्राम आलमपुरी थाना स्योहरा जनपद बिजनौर हालपता—खडकपुर देवीपुरा थाना आईटीआई काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर।

4—राजू निवासी मकरपुरी थाना स्योहरा जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

- **जनपद इटावा/थाना बसरेहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम की सपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रशान्त कुमार को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना फ्रेंड्स कालोनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 21—21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना फ्रेंड्स कालोनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/394/456/411 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1—आकाश 2—साजिद को आजीवन कारावास व 21—21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजू उर्फ रामनिवास को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट प्रयागराज (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 60 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस ने अभियुक्त सोनू सिंह यादव पुत्र स्व0 मिश्रीलाल निवासी कटरा कौड़िहार थाना नवाबगंज, प्रयागराज 2–अभियुक्ता पत्नी सोनू सिंह यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 60 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

————————